कृपया प्रकाशनार्थ **5 अक्टूबर 2011**

तारापूर प्रकल्पपीडित मछुआरों को सागर किनारे पर जगह देने के लिए सरकार राजी

मुंबई,बुधवार: आखिरकार न्यायालय के सामने झुक कर तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्प से पीडित मछुआरों को मछुआरी करने के लिए सागर किनारे पर छःहेक्टर जमीन इस्तेमाल करने देने के लिए महाराष्ट्र सरकार राजी हुअी है. तारापूर प्रकल्पपीडितों के पुनर्वसन के मामले पर मुंबई उच्च न्यायालय में हो रही सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ती श्री. बी.एच. मर्कापल्ले व श्री. पी.डी. कोदे के न्यायपीठ के सामने कल महाराष्ट्र सरकारने जो प्रतिज्ञा पत्र दिया उसमें यह बात कही है ऐसी जानकारी पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक ने दी.

तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्पपीडितों के पुनर्वसन का मामला वर्ष 2004 से मुंबई उच्च न्यायालय में दायर है. प्रकल्पपीडितों में से मछुआरों को रहने के लिए जो घर दिए गए हैं वें सागर किनारे से 7 किलोमीटर की दूरी पर है. इन मछुआरों को मछुआरी के लिए सागर किनारे अलग से जगह भी नहीं दी गयी. परिणामस्वरुप इनके भरण पोषण की समस्या निर्माण हुई है. पिछले सात सालों में इस विषय पर काफी विचारविमर्श होने के बावजूद भी यह समस्या हल न होने से श्री. राम नाईक तथा मछुआरों ने न्यायालय को इससे अवगत कराया. 8 सितंबर को हुअी सुनवाई में फिर न्यायपीठ ने राज्य सरकार को कहा कि मछुआरों को मछुआरी के लिए अच्छी सुविधाएं, नैया तथा अन्य साधनसामग्री के साथ-साथ सागर किनारे जगह देने पर विचार किया जाए. तब जाकर कल हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने छः हेक्टर जमीन देने के लिए रजामंदी दिखायी.

न्यायालय में दिए प्रतिज्ञा पत्र में सरकार के राजस्व विभाग के सहसचिव ने कहा है कि मछुआरों को मछुआरी के लिए सागर किनारे की सरकार की जमीन देने का अधिकार जिलाधिकारी को देनेवाला निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने 4 फरवरी 1983 को ही किया है. उसके अनुसार योग्य निर्णय लेने के लिए ठाणे के जिलाधिकारी को कहा गया. उसके बाद पालघर तालुका के उनभाट में जगह दी जा सकती है ऐसा जिलाधिकारी ने प्रतिज्ञा पत्रद्वारा कहा है.

न्यायपीठ के सामने जब यह दोनो प्रतिज्ञा पत्र आएं तब उनभाट के कुछ स्थानिक नागरिकों का इस प्रस्ताव को विरोध है ऐसा एड.के.एन. कोरे ने न्यायालय को बताया. उस पर न्यायापीठ ने स्थानिक नागरिक तथा प्रकल्पपीडित समझौते से इस पर हल निकाल सकते है क्यां यह देखने के लिए कुछ समय देते हुए अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को रखी. इस सुनवाई में श्री. राम नाईक ने स्वयं अपना पक्ष रखा तो, एड. के.एन. कोरे ने उनभाट के गाँववासियों की ओर से पेशी रखी. प्रकल्पपीडितों की ओर से एड. राजीव पाटील, राज्य सरकार की ओर से एड. नितीन देशपांडे और न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन की ओर से एड. लोपा मुनिम ने हिस्सा लिया.

(कार्यालय मंत्री)